

Apostille & MEA Attestation Chain Planner

दस्तावेज प्रकार : लाइसेंस / वैधानिक फाइलिंग • तैयार किया गया 15 Oct 2026

यह गाइड बताती है कि यह टूल क्या बनाता है, उसका उपयोग कैसे करें, और किन बातों का ध्यान रखें। टूल का वास्तविक आउटपुट (ड्राफ्ट/रिपोर्ट) टूल पेज पर बनता है।

पृष्ठभूमि

विदेश में उपयोग हेतु दस्तावेजों की पूरी attestation श्रृंखला — नोटरी, राज्य प्रमाणन (शैक्षिक हेतु HRD, व्यक्तिगत हेतु गृह/GAD/SDM, वाणिज्यिक हेतु Chamber of Commerce), MEA apostille या दूतावास legalisation — गंतव्य-देश अनुसार यह टूल क्रमबद्ध योजना व आवेदन तैयार करता है।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

प्रत्येक दस्तावेज हेतु सही क्रम में attestation श्रृंखला तय कर, क्रम-भंग की भूल रोकते हुए आवेदन तैयार करना।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

चरण-दर-चरण attestation श्रृंखला व आवेदन-पत्रों का उपयोग हर दस्तावेज को सही क्रम में पार कराने, और गंतव्य की माँग अनुसार apostille पर रुकने या दूतावास legalisation तक जारी रखने के लिए करें।

यह किसे दिया जाता है

नोटरी, राज्य प्रमाणन प्राधिकरण (HRD/GAD/SDM या Chamber of Commerce), विदेश मंत्रालय (MEA), और legalisation आवश्यक होने पर गंतव्य दूतावास।

कैसे जमा करें / दाखिल करें

प्रत्येक दस्तावेज क्रम से पार कराएँ — नोटरी, फिर राज्य प्रमाणन, फिर MEA apostille/legalisation (सामान्यतः MEA-अनुमोदित आउटसोर्सिंग एजेंसी से), फिर गैर-Hague देश हेतु दूतावास।

शुल्क और खर्च

प्रति दस्तावेज MEA apostille/attestation शुल्क तथा राज्य व एजेंसी सेवा-शुल्क; गैर-Hague देश हेतु दूतावास legalisation का अलग शुल्क।

इसकी जाँच किससे कराएँ

बड़े/वाणिज्यिक सेट हेतु attestation एजेंसी; एकल शैक्षिक/व्यक्तिगत दस्तावेज हेतु श्रृंखला सीधे अपनाई जा सकती है।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

कोई चरण क्रम से बाहर करना (जैसे राज्य प्रमाणन से पहले MEA जाना) पुनः-आरंभ को बाध्य करता है, और apostille पर्याप्त है या नहीं यह गंतव्य के Hague-देश होने पर निर्भर। आरंभ से पहले वर्तमान MEA/दूतावास आवश्यकताएँ सत्यापित करें।

साथ के दस्तावेज

इस टूल के लिए पोर्टल पर संबंधित दस्तावेज सूचीबद्ध नहीं हैं।

यह एआई-सहायित मार्गदर्शन है। किसी भी बाध्यकारी निर्णय से पहले योग्य पेशेवर से पुष्टि करें। शुल्क, प्राधिकरण और प्रक्रियाएँ राज्य और समय के अनुसार बदलती हैं — अपने राज्य के प्राधिकरण से सत्यापित करें।

